न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान

प्रकरण सं0 : 40/2025

जयवान :

जयवीर पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी हुणतपुरा तहसील भादरा।

:— वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र मेहरचन्द जाति जाट निवासी हुणतपुरा तहसील भादरा।
2. प्रहलाद खलेरी पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी हुणतपुरा तहसील भादरा।
3. पुष्पा कुमारी पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी हुणतपुरा तहसील भादरा।
4. पंजाब नेशनल बैंक शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : राजेश बैनिवाल : वादी

वकील श्री अर्जुन बैनिवाल : **प्रतिवादी सं0 1 ता 3**

निर्णय **दिनांक :** 24.03.25

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा हुनवन्तपुरा के खाता सं0 10/10 में ख0नं0 163 की 1.3160 है0, ख0नं0 170/135 की 2.6430 है0, ख0नं0 172/1 की 0.6790 है0 तथा ख0नं0 172/136 की 8.0190 है0 कुल खसरा 4 की कुल 12.3570 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी ने प्रतिवादीगण को वादभूमि में वादी के खातेदारी हकों की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 3 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 तामील के बावजूद उपस्थित नहीं आये उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी सं0 5 द्वारा जबावदावा पेश किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है।

अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया। साक्ष्य वादी में जयवीर पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी हुणतपुरा तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी रोही मौजा हुनवन्तपुरा खाता संख्या 10/10 संवत 2076–79 प्रदर्श 1, जमाबंदी रोही मौजा हुनवन्तपुरा संवत 2068–2071 खाता संख 76/69 प्रदर्श 2, [illegible] प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत जाटान प्रदर्श 3 तथा शपथ पत्र बाबत साक्ष्य [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.04.02 12:28:13 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौरान बहस [illegible] के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस

कलक्टर (फा0)भादरा

Scanned with CamScanner

प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम हुनवन्तपुरा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 से 4 प्रदर्शित करवाये। वाद भूमि रोही मौजा हुनवन्तपुरा के खाता सं0 10/10 के ख0नं0 163 की 1.3160 है0, ख0नं0 170/135 की 2.6430 है0, ख0नं0 172/1 की 0.3790 है0 तथा ख0नं0 172/136 की 8.0190 है0 कुल खसरा 4 की कुल 12.3570 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश अकेले की बजाय वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 तथा 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जावे। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा हुनवन्तपुरा के खाता सं0 10/10 के ख0नं0 163 की 1.3160 है0, ख0नं0 170/135 की 2.6430 है0, ख0नं0 172/1 की 0.3790 है0 तथा ख0नं0 172/136 की 8.0190 है0 कुल खसरा 4 की कुल 12.3570 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश अकेले की बजाय वादी जयवीर प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश, प्रतिवादी संख्या 2 प्रहलाद खलेरी को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

(मुहर: सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.04.02 12:28:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान

प्रकरण सं0 : 40/2025

अनवान :

जयवीर पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी हुणतपुरा तहसील भादरा।

:— वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र मेहरचन्द जाति जाट निवासी हुणतपुरा तहसील भादरा।
2. प्रहलाद खलेरी पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी हुणतपुरा तहसील भादरा।
3. पुष्पा कुमारी पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी हुणतपुरा तहसील भादरा।
4. पंजाब नेशनल बैंक शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट—ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री राजेश बैनिवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री अर्जुन बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा हुनवन्तपुरा के खाता सं0 10/10 के ख0नं0 163 की 1.3160 है0, ख0नं0 170/135 की 2.6430 है0, ख0नं0 172/1 की 0.3790 है0 तथा ख0नं0 172/136 की 8.0190 है0 कुल खसरा 4 की कुल 12.3570 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश अकेले की बजाय वादी जयवीर प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश, प्रतिवादी संख्या 2 प्रहलाद खलेरी को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24.03.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(कल्पित शिवरान)RAS
[illegible] (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.04.02 12:28:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner